UPME010083022026

न्यायालय– प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधि०),
कोर्ट संख्या 03 मेरठ।
तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र सं०–2255/2026
कम्यूटर रजिस्ट्रेशन सं०– 2787/2026

संजय पुत्र श्रीपाल बनाम सरकार

मु०अ०सं०–40/2022
अन्तर्गत धारा 452, 354 भा०दं०सं०
व धारा 7/8 पोक्सो अधिनियम
थाना –मुण्डाली, जिला मेरठ।

दिनांक 04.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्त संजय पुत्र श्रीपाल की ओर से सत्र परीक्षण संख्या 609/2022, सरकार बनाम संजय, मु०अ०सं० 40/2022, अन्तर्गत धारा 452, 354 भा०दं०सं० व धारा 7/8 पोक्सो अधिनियम, थाना –मुण्डाली, जिला मेरठ के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त वाद में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त वारण्ट पर दिनांक 22.05.2026 से जेल में निरुद्ध है। अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। वाद उपरोक्त में प्रथम सूचना रिपोर्ट पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज करायी गयी है जो कानूनी सलाह मशवरे के तहत दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का मुकदमा माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पोक्सो एक्ट, कोर्ट सं० 3, मेरठ के यहां विचाराधीन है। प्रार्थी/अभियुक्त की आर्थिक स्थिति काफी खराब होने तथा घर में बीमारियां होने के कारण माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाया, जिस कारण प्रार्थी/अभियुक्त वारण्ट में जेल में निरुद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध झूठी घटना को कहानी बनाकर उपरोक्त मुकदमा दर्ज कराया गया था और मुल्जिम को जेल भिजवाया था। उपरोक्त मुकदमें में पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 161 व 164 दं०प्र०सं० में विरोधाभास है। प्रार्थी/अभियुक्त का निवास स्थान स्थायी है उसके फरार होने का कोई अन्देशा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध जनता का कोई गवाह नहीं है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत मंजूर कर उसके द्वारा दाखिल जामिनान के जमानतनामें करने पर रिहा करने की कृपा करें।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त ने न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रदत्त की गयी जमानत का दुरूपयोग किया गया है। अतः उसे पुनः जमानत दिये जाने का विरोध किया गया।

मैंने जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त इस मामले में पूर्व में जमानत पर था। अभियुक्त के अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट दिनांक 09.07.2025 को जारी किये गये थे, जिस पर थाना हाजा पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करके दिनांक 26.05.2026 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया एवं अभियुक्त को धारा 309 दं०प्र०सं० के वारण्ट पर जिला कारागार मेरठ में भेजा गया। अभियुक्त दिनांक 26.05.2026 से प्रस्तुत मामले में जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध है। अभियुक्त का तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र उसकी पैरोकार/पिता श्रीपाल के शपथ पत्र से समर्थित है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, प्रकरण के गुणदोष पर बिना कोई मत व्यक्त किये अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त का तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त संजय पुत्र श्रीपाल की ओर से सत्र परीक्षण संख्या 609/2022, सरकार बनाम संजय, मु०अ०सं० 40/2022 अन्तर्गत धारा 452, 354 भा०दं०सं० व धारा 7/8 पोक्सो अधिनियम थाना –मुण्डाली, जिला मेरठ के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/- (पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो नये प्रतिभू न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

प्रार्थी/अभियुक्त निम्नवत शर्तों का अनुपालन करेगा-

1- यह कि अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद साक्षीगण/साक्ष्य से छेड़खानी नहीं करेगा।

2- यह कि अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि, जो न्यायालय द्वारा मुकर्रर होगी, पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से मौजूद रहेगा। अभियुक्त की बिना किसी युक्तियुक्त एवं यथेष्ट कारण के गैर मौजूदगी होने पर संबंधित न्यायालय अन्तर्गत धारा 229 ए भा०द०सं० के तहत सम्यक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत रहेगा।

3. यह कि अभियुक्त द्वारा भविष्य में अपना स्थायी पता परिवर्तित किया जता है, तो उस संबंध में वह संबंधित थानाध्यक्ष को सूचना प्रेषित करेगा।

इस आदेश की एक प्रति ई-मेल के माध्यम से अभियुक्त को सूचनार्थ जिला कारागार, मेरठ को प्रेषित की जावे।

दिनांक 04.06.2026

प्रभारी विशेष न्यायाधीश,
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 3, मेरठ।